न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 18/51

कपूर आयु 36 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. झनकू बाई आयु 76 वर्ष बेवा श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. छीतर आयु 56 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. छोटा लाल आयु 54 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. गणेश आयु 46 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. श्रीमती गणेशी बाई आयु 43 वर्ष पुत्री श्री गोमदा जी पत्नी श्री दिलप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम माटून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. श्रीमती जानकी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री गोमदा जी पत्नी श्री रामविलास जाति धाकड निवासी ग्राम माटून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शिव तोषनीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 12.07.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 394/755 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 482 रकबा 05 बीघा एंव खसरा नम्बर 970/753 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 12 बीघ 08 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

तत्पश्चात् पक्षकारान द्वारा दिनांक 09.10.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लिखित में राजीनामा पेश कर दिया था और उक्त राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया था । अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर पक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत लिखित राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण किया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया था जिसमें पक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया था और उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

10. हमने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया । उक्त राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है । उक्त राजीनामा में अंकित किया गया है कि कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 970/753 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 482 रकबा 05 बीघा में से 02 बीघा भूमि का खातेदार वादी कपूर को घोषित किये जाने में एवं विभाजन किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 394/755 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि का खातेदार प्रतिवादी छोटालाल को घोषित किये जाने में एवं विभाजन किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है । आपसी सहमति के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 05 बीघा में से शेष रही 03 बीघा भूमि में से 14 बिस्वा भूमि वादी कपूर के हिस्से में, 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी छीतर के हिस्से में, 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी गणेश के हिस्से

में एवं 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी छोटा के हिस्से में विभाजन में दिये जाने में एवं तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने में वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 6 को कोई आपत्ति नहीं है । वादग्रस्त आराजी में से अपने अधिकारों का परित्याग प्रतिवादी गणेशी बाई व जानकी बाई ने अपने पिता श्री गोमदा के जीवनकाल में ही अपने चारों भाईयों कपूर, छीतर, छोटालाल एंव गणेश के पक्ष में राजीखुशी कर दिया था अब उक्त भूमि में प्रतिवादी गणेशीबाई, जानकी बाई को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध जाकर उक्त निर्णय एंव डिकी पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण में अपील अपीलान्ट पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट पक्षकारान के मध्य हुए लिखित राजीनामा अनुसार स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 14.12.2017 निरस्त किया जाता है । उक्त राजीनामा अनुसार ग्राम दौलाडा की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 970/753 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 482 रकबा 05 बीघा में से 02 बीघा भूमि का खातेदार वादी कपूर को घोषित किया जाता है । आराजी खसरा नम्बर 394/755 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि का खातेदार प्रतिवादी छोटालाल को घोषित किया जाता है । आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 05 बीघा में से शेष. रही 03 बीघा भूमि में से 14 बिस्वा भूमि वादी कपूर के हिस्से में, 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी छीतर के हिस्से में, 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी गणेश के हिस्से में एवं 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी छोटा के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

12. निर्णय आज दिनांक 12.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/51

कपूर आयु 36 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलाथी

बनाम

1. झनकू बाई आयु 76 वर्ष बेवा श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. छीतर आयु 56 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. छोटा लाल आयु 54 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. गणेश आयु 46 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. श्रीमती गणेशी बाई आयु 43 वर्ष पुत्री श्री गोमदा जी पत्नी श्री दिलप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम माटून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. श्रीमती जानकी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री गोमदा जी पत्नी श्री रामविलास जाति धाकड निवासी ग्राम माटून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बून्दी जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 65/दावा/2017

कपूर आयु 36 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---वादी

बनाम

1. झनकू बाई आयु 76 वर्ष बेवा श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

छीतर आयु 56 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. छोटा लाल आयु 54 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. गणेश आयु 46 वर्ष आत्मज श्री गोमदा जी जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. श्रीमती गणेशी बाई आयु 43 वर्ष पुत्री श्री गोमदा जी पत्नी श्री दिलप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम माटून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. श्रीमती जानकी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री गोमदा जी पत्नी श्री रामविलास जाति धाकड निवासी ग्राम माटून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 12.07.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शिव तोषनीवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट पक्षकारान के मध्य हुए लिखित राजीनामा अनुसार स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.12.2017 निरस्त किया जाता है । उक्त राजीनामा अनुसार ग्राम दौलाडा की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 970/753 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 482 रकबा 05 बीघा में से 02 बीघा भूमि का खातेदार वादी कपूर को घोषित किया जाता है । आराजी खसरा नम्बर 394/755 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि का खातेदार प्रतिवादी छोटालाल को घोषित किया जाता है । आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 05 बीघा में से शेष रही 03 बीघा भूमि में से 14 बिस्वा भूमि वादी कपूर के हिस्से में, 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी छीतर के हिस्से में, 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी गणेश के हिस्से में एवं 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी छोटा के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 12.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा